subject to a maximum of Rs. 10,000 per beneficiary. This decision has been communicated to the State Governments.

मुरैना और छिंदवाड़ा संयंत्रों का विस्तार

2463. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य तिलहन संघ के मुरैना और छिंदवाड़ा संयंत्रों के विस्तार हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव कितनी लागत के हैं और इन्हें कब भेजा गया था; और

(ग) क्या राष्ट्रीय विकास निगम ने इन प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ लि. (एम.पी. आयलफेड) के द्वारा स्थापित मुरैना और छिंदवाड़ा संयंत्रों के विस्तार हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रस्ताव भेजे हैं। 28.25 करोड़ रुपये की परियोजना लागत का छिंदवाड़ा विस्तार प्रस्ताव तथा 30.58 करोड़ रुपये की परियोजना लागत का मुरैना विस्तार प्रस्ताव एन.सी.डी.सी. को फरवरी 1993 में प्राप्त हुआ था। छिंदवाड़ा परियोजना के संबंध में एन.सी.डी.सी. ने यह निर्णय लिया कि यूनिट द्वारा अपने प्रचालनों को स्थिरता प्रदान करने तक तथा एम.पी. ऑयलफेड द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने तक मूल्यांकन के कार्य को आस्थगित कर दिया जाए। जून 1993 में एम.पी. ऑयलफेड और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने छिंदवाडा संयंत्र की परियोजना लागत में कटौती करने का निर्णय लिया। तदनुसार सोसाइटी द्वारा दिसम्बर 1993 में एन.सी.डी.सी. को 9.54 करोड़ रुपये की संशोधित लागत के साथ एक संशोधित परियोजना का प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव की राज्य सरकार द्वारा अभी तक सिफारिश नहीं की गई है।

मुरैना परियोजना के संबंध में एन.सी.डी.सी. ने एक मूल्यांकन दल गठित किया है। प्रस्ताव पर मूल्यांकन दल के निष्कर्षों तथा मामले के आर्थिक प्रौद्योगिकीय गुणावगुणों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

फसल बीमा योजना की यूनिट

2464. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की फसल बीमा योजना केवल तहसील स्तर को यूनिट मान कर कुछ फसलों तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो बहुत से कृषक इसके लाभों से वंचित रह जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार ग्राम को यूनिट के रूप में मानने और सभी फसलों को इस योजना में शामिल करने पर विचार करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) वर्तमान में वृहद फसल बीमा योजना (सी.सी.आई.एस.) के अंतर्गत धान, गेहूं, बाजरा, तिलहन तथा दलहन शामिल हैं। कोई भी ऐसा जिला, तहसील, तालुक, ब्लॉक या कोई दूसरा छोटा व निकटस्थ क्षेत्र, यूनिट क्षेत्र हो सकता है जो राज्य सरकारों के द्वारा चयनित तथा अधिसूचित किया गया हो।

(ख) यदि अधिसूचित क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम उपज की तुलना में फसल की वास्तविक उपज में गिरावट आती है तो अधिसूचित यूनिट क्षेत्र के सभी बीमाकृत किसान वृहद फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दावे पाते हैं।

(ग) राज्य सरकारें वृहद फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए किसी भी लघु क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते उनके पास पिछले पांच वर्षों के उपज संबंधी आंकड़े हों तथा प्रत्येक मौसम के अंत में उस अधिसूचित क्षेत्र में 16 फसल कटाई संबंधी प्रयोग संचालित करने की क्षमता भी हो। वर्तमान में विद्यमान वृहद फसल बीमा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त फसलों को लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Decline in the availability of Cattle per 100 Hectare

2465. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as per the figures of the National Commission on Agriculture the area under cultivation has gone up from 973